

**भारत–नेपाल द्विपक्षीय संबंध : सीमा प्रबंधन के विशेष संदर्भ में।****डा० हेमलता<sup>1</sup>, दीपाली सिंह<sup>2</sup>**<sup>1</sup>एसोसिएट प्रोफेसर एच०एन०बी० राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज<sup>2</sup>शोध छात्रा, प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज

Received: 26 Dec 2025 Accepted &amp; Reviewed: 28 Dec 2025, Published: 31 December 2025

**Abstract**

भारत–नेपाल संबंध सदियों पुराने सामाजिक–सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंधों से बने हैं। भारत–नेपाल के मध्य शानदार द्विपक्षीय संबंध रहे हैं जो एक–दूसरे के साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संबंधों में परिलक्षित होता है। मित्रता और सहयोग के रिश्तों की विशेषता दोनों देशों के मध्य लगभग 1751 कि०मी की लंबी खुली सीमा रेखा है। दोनों देशों के नागरिक बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी स्थान से सीमा पार करके एक–दूसरे देश में निर्बाध आवाजाही कर सकते हैं जिसके लाभ के कारण ही गहरी रिश्तेदारी और गहन सांस्कृतिक संबंध विकसित हुए हैं। इस प्रकार भारत व नेपाल के मध्य खुली सीमा दोनों देशों के मध्य बेहतर सम्बन्धों का घोटक है। परन्तु इसरी ओर यह मुक्त सीमा भारत के समक्ष अनेक सुरक्षा चुनौतियाँ भी उत्पन्न कर रही है। इन सुरक्षा चुनौतियों में सीमा विवाद, आई०एस०आई० की बढ़ती गतिविधियाँ, पाक प्रायोजित आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, मानव तस्करी, जाली नोटों की तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, इत्यादि समस्याएँ हैं। इन समस्याओं के कारण भारत की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है और दोनों देशों के संबंधों में कटुता उत्पन्न हुई है। अतः दोनों देशों के द्वारा उचित सीमा प्रबंधन की आवश्यकता है। ऐतिहासिक शिकायतों को दूर करके, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान अपनाकर दोनों देशों के पास एक जीवंत और सामंजस्यपूर्ण संबंध का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर है जो साझा मूल्यों पर आधारित रहते हुए समय की भावना को दर्शाता है।

**मुख्य शब्द—** सीमा प्रबंधन, सीमा चौकियाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा, सशस्त्र सुरक्षा बल, सन्धियाँ**Introduction**

यह शोधपत्र भारत–नेपाल के संबंधों में सीमा प्रबंधन तथा इसके कारण व्यापार व्यवस्थाओं, नीतियों और रुझानों एवं चुनौतियों पर चर्चा एवं विश्लेषण करता है। इस शोध–पत्र के लिए शोध सामग्री अधिकांश रूप में द्वितीयक स्रोतों से ग्रहण की गई है। शोध सामग्री पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं व समाचार पत्रों से प्राप्त की गई है। इसमें ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक व वर्णात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया है।

भारत और नेपाल दो हिमालयी पड़ोसियों के रूप में एक–दूसरे के साथ एक अनुकरणीय और गहरा अंतर्निहित संबंध साझा करते हैं, जो एक जटिल और गहरी सामाजिक–सांस्कृतिक गांठ द्वारा बद्ध हैं। प्राचीन काल से भारत और नेपाल के मध्य संबंध अत्यंत घनिष्ठ एवं आत्मीय रहे हैं जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारकों पर आधारित है। वास्तव में, यह भौगोलिक निकटता और दोनों देशों के मध्य समान धार्मिक, भाषाई तथा सांस्कृतिक पहचान एक मोतियों की माला के रूप में गुंथे हुए हैं एवं अनूठे हैं किसी भी दो देशों के लोगों के मध्य इतनी समानता और उनके मध्य पारस्परिक तालमेल नहीं मिल सकती जितनी भारत

तथा नेपाल के बीच है। (उपाध्याय,1995) दोनों देशों के मध्य समानताओं को साझा करने में धर्म एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसाकि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी का प्रतिनिधित्व है, तो दूसरी तरफ नेपाल में भी लगभग 81 प्रतिशत जनसंख्या हिंदू धर्म का पालन करती है तथा यह पूर्व में घोषित रूप से "हिंदू राष्ट्र" रह चुका है। इसके साथ ही साझा बौद्ध विरासत एवं परंपरा भी इस संबंध में एक अन्य गहन सांस्कृतिक कारक का निर्माण करती है। दोनों पड़ोसियों के निवासियों के महज मौजूद "लोगों से लोगों का संबंध" को अन्य रूप में "रोटी-बेटी का रिश्ता" के रूप में नामकरण घनिष्ठता को दर्शाता है।

भारत-नेपाल निकटतम पड़ोसी हैं। मित्रता और सहयोग की के रिश्ते की विशेषता दोनों देशों के मध्य लगभग 1750 किलोमीटर की लंबी खुली सीमा रेखा है जिनकी संख्या 42 है। दोनो देशों के नागरिक बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी स्थान से सीमा पार करके एक-दूसरे देश में निर्बाध आवाजाही कर सकते हैं जिसके लाभ के कारण ही गहरी रिश्तेदारी और गहन सांस्कृतिक संबंध विकसित हुए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में भारत-नेपाल संबंधों ने क्षेत्रीय विवाद की चुनौतियों का सामना किया है क्योंकि यह आर्थिक, सुरक्षा तथा विकास के हितों पर केंद्रित है। ब्रिटिश शासन द्वारा सीमा निर्धारण और नेपाल में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम तथा अस्थिर सरकारों द्वारा द्वेषपूर्ण स्थिति में पोशे जाने वाले उग्र राष्ट्रवादी भावना ने द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण कर दिया है।

**नेपाल की भौगोलिक स्थिति:** – हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर स्थित नेपाल 14,7181 वर्ग किलोमीटर (भट्टाराई व खातीवाडे, 1993) के क्षेत्रफल का एक राष्ट्र है। नेपाल भौगोलिक दृष्टिकोण से एक स्थल-अवरुद्ध (लैंड लॉकड) देश है तथा यह विश्व के दो सर्वाधिक आबादी वाले देशों-भारत तथा चीन के मध्य स्थित है। नेपाल अपने भौगोलिक स्थिति के कारण रणनीतिक रूप से अपने दोनों पड़ोसियों भारत तथा चीन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेपाल पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में भारत के साथ सीमा साझा करता है जिसे भारत का "चिकन नेक" कहा जाता है। नेपाल 5 भारतीय राज्यों-उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा बिहार के साथ सीमा बनाता है। भारतीय राज्यों के साथ सीमावार लंबाई अधोलिखित है:

राज्य	लंबाई (किमी0में)
उत्तर प्रदेश	560
बिहार	729
उत्तराखण्ड	263
प0 बंगाल	100
सिक्किम	99
कुल	1751

भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत ने नेपाल के भारत के साथ संबंधों को अत्यधिक घनिष्ठ बनाया है, वहीं धर्म, समान जीवन-शैली तथा खुली सीमाओं के कारण आपसी रिश्तेदारी ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को स्वाभाविक बनाया है। इन कारणों से दोनों देशों के मध्य संबंध पूर्व-ऐतिहासिक

समय से व्यापक है। (भट्टाराई व खातिवाड़े, 1993)। नेपाल का मानस एक छोटे स्थलरुद्ध देश का है, जो भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और भौतिक प्रभाव से अभिभूत है। (राजन,2016)

**भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन:-** भारत-नेपाल संबंध सदियों पुराने सामाजिक-सांस्कृतिक ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंधों से बने है। (देवी, 2011)। भारत-नेपाल के मध्य शानदार द्विपक्षीय संबंध विद्यमान रहे हैं जो एक-दूसरे के साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संबंधों में परिलक्षित होता है। घनिष्ठ पड़ोसियों के रूप में दोनों देश मित्रता व सहयोग के एक अनूठे, विशिष्ट प्रकार के संबंध साझा करते हैं, जो खुली सीमाओं और रिश्तेदारी एवं समान संस्कृति के लोगो के मध्य गहरे संपर्कों की विशेषता है। (चक्रवती और साहा ,2015)।

यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखते हैं, तो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, संप्रभूता, समानता और एक-दूसरे की आकांक्षाओं तथा हितों की समझ के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंधों की नींव का प्रमुख आधार माना जा सकता है। इसके अलावा, दोनों देशों के मध्य खुली सीमा राजनीतिक और भौगोलिक संबंधों का एक अनूठा प्रतिभान रही है जो शायद ही कहीं दुनिया में मौजूद है। (चक्रवती ,2014)। दोनों देशों के मध्य खुली सीमा प्रणाली ने निवासियों के मध्य संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुली सीमा प्रणाली एक देश से दूसरे देश में लोगों के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करती है जिससे बिना वीजा या पासपोर्ट के आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिली। वीजामुक्त प्रवेश द्वारा लगभग 80 लाख नेपाली नागरिकों को भारत में रहने और रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई, जबकि 6 लाख भारतीय नागरिकों को नेपाल में निवास प्राप्त हुआ। परन्तु, अन्य दुष्टिकोण से देखने पर यह भी पता चलता है कि यह खुली सीमा मानव तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी तथा अवैध आग्येयास्त्रों तथा गोला-बारूद की तस्करी सहित आपराधिक गतिविधियों को भी सुविधा-जनक बनाया है।

भारतीय नक्सलवादी, नेपाली मधेसी क्षेत्र में सक्रिय अवैध सशस्त्र गुट और संगठित आपराधिक गिरोह दोनों देशों के कानून एवं प्रवर्तन, एजेसियों से बचने के लिए दोनों देशों में शरण प्राप्त करने हेतु छिद्रपूर्ण सीमा का लाभ उठाते हैं। सीमा की छिद्रपूर्ण प्रकृति ने इसे सीमापार अपराध के लिए अतिसंवेदनशील बना दिया है। इस गंभीर सुरक्षा चुनौती के निराकरण हेतु भारत ने नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी, को तैनात किया है तथा एसएसबी ने सीमा पर 455 सीमा चौकियां स्थापित किया है। सीमा चौकियों का राज्यवार विवरण अधोलिखित है-

क्रम सं०	राज्य	सीमा चौकियों की संख्या
1	उत्तर प्रदेश	148
2	बिहार	193
3	उत्तराखण्ड	53
4	पं० बंगाल	43
5	सिक्किम	18
	कुल	455

भारत-नेपाल के मध्य सीमा निर्धारण ब्रिटिश शासित भारत द्वारा सन् 1816 में सुगौली की संधि द्वारा हुआ था। इस संधि ने भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा को परिभाषित किया, लेकिन इसकी अस्पष्टता के कारण विवाद प्रारंभ हो गये जिसके कारण सीमा के सटीक सीमांकन पर तनाव चलने लगा। 1700 कि०मी० से अधिक के जटिल सीमा ने छिटपुट संघर्ष को भी देखा है जो मुख्य रूप से नेपाल के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के केंद्रित है। सबसे विवादास्पद क्षेत्रों में से एक पश्चिमी क्षेत्र में स्थित कालापानी-लिम्पियाधुरा-लिपुलेख तिराहा है। यह विवाद महाकाली नदी की उत्पत्ति पर केंद्रित है, जो सुगौली संधि का एक प्रमुख संकेतक है, जिसमें नेपाल लिम्पियाधुरा को मूल स्थान के रूप में दावा करता है। भारत 1960 के दशक से इस क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बनाए रखता है और नेपाल के दावे के विरोध करता है इसके अलावा, नेपाल के नवलपरासी जिले के दक्षिणी भाग में सुस्ता क्षेत्र पर विवाद है तथा मेची और काली नदियों के साथ अन्य छिटपुट असमति बनी हुई है।

**भारत-नेपाल मैत्री संधि, 1950-** 1950 में शांति और मित्रता की भारत-नेपाल संधि पर हस्ताक्षर ने दोनों देशों के बीच अद्वितीय संबंधों के लिए रूपरेखा स्थापित की। (पाल, 2013)। यह संधि दोनों देशों के मध्य सीमाओं के पार नागरिकों और वस्तुओं की सुरक्षा और व्यापार के संदर्भ में आधार का कार्य करती है तथा इसके लिए नियामक तंत्र भी उपलब्ध कराती है। इस संधि के हस्ताक्षर होने के पश्चात दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक घनिष्ठ हुए तथा इसके द्वारा दोनों देशों के मध्य सुरक्षा संबंधों को परिभाषित किया गया है और साथ ही द्विपक्षीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले समझौते को भी मूर्त रूप दिया गया। संधि के प्रावधानों के अनुसार, दोनों देशों के बीच की सीमा दोनों देशों के निवासियों के लाभ हेतु खुली रहेगी। इसके अनुसार, भारत व नेपाल के नागरिकों को वीजा या पासपोर्ट रूपी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। एक देश के नागरिक न केवल चौकियों के माध्यम से बल्कि किसी भी बिंदु के माध्यम से सीमा पार करके दूसरे देश में प्रवेश कर सकते हैं।

इसके अलावा, संधि न केवल सीमा को खुला रखने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों में दूसरे देश के लोगों को सहयोग व सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। संधि के खंड 6 के अनुसार, एक देश के लोगों को दूसरे देश में औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने का अधिकार है। इसके अलावा, खंड 7 एक देश के नागरिकों को निवास का अधिकार, सम्पत्ति का स्वामित्व, व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में भागीदारी, आंदोलन और संबंधित अन्य विशेषाधिकारों की अनुमति देता है। भारत-नेपाल मैत्री संधि निश्चित रूप से दोनों देशों की द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर है।

अनेक सकारात्मक तथ्यों के साथ 1950 की भारत-नेपाल संधि का नकारात्मक प्रभाव भी परिदृश्य में परिलक्षित होता है। दोनों देशों के मध्य मुक्त सीमा का दोनों देशों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलगाववादियों को हथियारों की अवैध आपूर्ति छिद्रपूर्ण सीमा के कारण आसान बनी। दूसरी तरफ, अप्रतिबंधित आप्रवासन ने नेपाल की जनसांख्यिकीय संरचना और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जिसके कारण नेपाल ने विदेशियों द्वारा अचल सम्पत्ति की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया।

1950 की संधि दोनों देशों के मध्य लंबे समय से विवाद का विषय रही है। नेपाल का मानना है कि संधि पर उस समय हस्ताक्षर किये गये थे जब क्षेत्र की भू-राजनीतिक परिस्थितियां अलग थीं, और वर्तमान समय की वास्तविकता दर्शाने के लिए इसमें संसोधन की आवश्यकता है। नेपाल की आपत्ति मुख्यतया अनुच्छेद

2 और 5 से संबंधित है। अनुच्छेद 5 में लिखा गया है कि 'नेपाल सरकार नेपाल की सुरक्षा के लिए आवश्यक हथियार, गोला-बारूद, युद्ध सामग्री तथा सैन्य उपकरण भारत के क्षेत्र से या उसके माध्यम से आयात करेगी। परामर्श से कार्य करने वाली दोनों सरकारें इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया पर काम करेंगी।

नेपाली इस अनुच्छेद को अपनी सम्प्रभुता के खिलाफ मानते हैं और एक संप्रभू राष्ट्र के रूप में चाहते हैं कि उन्हें रक्षा और सैन्य जरूरतों के लिए किसी भी देश के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भारतीय पक्ष का तर्क है कि दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए नेपाल को भारतीय चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए तथा भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण आचरण वाले देशों को नेपाल में पैर जमाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

भारत-नेपाल संबंध पिछले कुछ वर्षों से आमूल-चूल परिवर्तन से गुजरे हैं। वर्तमान में, दोनों देशों के मध्य संबंध एक क्रास-रोड पर खड़े हैं नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था में नाटकीय बदलाव, आर्थिक उदारीकरण से जुड़ी एक नई आर्थिक सोच का उदय तथा 1950 की संधि के सुरक्षा खंड के लगभग निरर्थक होने के कारण चीन का नेपाल का एक महत्वपूर्ण साझेदार बनते जाना भारत-नेपाल के संबंधों को अब तक नियंत्रित करने वाले मापदंडों में बुनियादी बदलाव लाया है। 1990 में भू-राजनीतिक परिवर्तनों ने विकसित पश्चिम के साथ आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाली भारत की विदेश नीति को निर्देशित किया। नेपाल के साथ सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा था। दोनों देशों के बीच एक संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें "अन्य देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व दोनों देशों के मध्य पूर्व परामर्श" की पुष्टि की गई, जो उनमें से किसी के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन नेपाल में सरकार बदलने के साथ इस संधि पर आपत्ति जताई गई, जिसमें जिसमें माना गया कि वैश्वीकरण और विकास के लिए राष्ट्रों के बीच सहवर्ती प्रतिस्पर्द्धा के युग में भारत की सुरक्षा छतरी" प्रासंगिक नहीं थी। इसके बाद, नेपाल ने बदली हुई भू-राजनीति को देखते हुए तथा भारत पर "मार्ग-निर्भरता" को दूर करने के लिए नई संधि का प्रस्ताव रखा। नेपाल पहुंच मार्ग से असहज है, जिसे वह "अपने भूगोल की उपेक्षा" और भारत द्वारा "थोपा" गया मानता है।

**भारत द्वारा सीमा प्रबंधन के प्रमुख प्रयास:-** नेपाल को भारत द्वारा सहयोग 1952 में गौचरण (काठमांडू) में एक हवाई पट्टी के निर्माण से प्रारम्भ हुआ। भारत तभी से नेपाल को बुनियादी ढांचे के विकास और मानव संसाधन क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर रहा है।

ईस्ट-वेस्ट हाइवे, एक स्मारकीय परियोजना है जो तराई क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण इलाके के माध्यम से देश को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ती है, यह नेपाल के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सीमा पार कनेक्टिविटी के मामले में भारत का योगदान उल्लेखनीय रहा है। भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना दोनों देशों के समानांतर में बिहार से उत्तराखण्ड तक 1377 किलोमीटर लंबी है जो 2013 से निर्माणाधीन है। यह परियोजना बिहार में 564 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 640 किलोमीटर तथा उत्तराखण्ड में 107 किलोमीटर लंबाई को आच्छादित करती है। यह सड़क परियोजना भारतीय एसएसबी सैनिकों की आसान आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है जो सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी, जाली मुद्रा और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी एवं रोकथाम को सुगम बनायेगी जिससे भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्राप्त होगी।

रेलवे कनेक्टिविटी नेपाल और भारत के मध्य सहयोगी प्रयासों के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। वर्तमान में, छह रेलवे परियोजनाओं की एक श्रृंखला प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं में जयनगर (भारत)–जनकपुर (नेपाल) रेलमार्ग, जोगबन–विराटनगर लिंकमार्ग, नौतनवा–भैरहवा रेलमार्ग, रूपईडीहा–नेपालगंज रेलमार्ग, न्यूजलपाईगुडी–काकरभिट्टा रेलमार्ग और काठमांडू–रक्सौल रेलमार्ग सम्मिलित हैं। इन रेलवे मार्गों ने सीमापार यात्रा, द्विपक्षीय व्यापार और निवासियों के मध्य सामाजिक–सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने की सुविधा प्रदान की है।

भारत और नेपाल के बीच एक पारगमन संधि(1999) है जो पारस्परिक रूप से एक–दूसरे के क्षेत्रों में पारगमन का अधिकार प्रदान करता है। इस पारगमन संधि को 5 जनवरी, 2013 को सात वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया गया था। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने द्विपक्षीय संपर्क को बढ़ाने तथा आर्थिक संबंधों में मजबूती के लिए एक रेल सेवा समझौता (RSA) एवं एक संशोधित हवाई सेवा समझौता (ASA) स्थापित किया है। 1981 में स्थापित भारत–नेपाल संयुक्त सीमा निरीक्षण तंत्र, 1997 में भारत–नेपाल संयुक्त सीमा प्रबंधन समिति तथा 1981 में नेपाल–भारत संयुक्त तकनीकी स्तर सीमा समिति (जेटीबीसी) (इसे 2008 में भंग कर दिया गया) की स्थापना सीमा समझौतों तथा द्विपक्षीय चर्चाओं में पारदर्शिता व प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किया गया था। इन संगठनों से मुख्य रूप से एक व्यापक सीमा प्रबंधन ढांचा स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 2004 में एक परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था जिसका उद्देश्य महेन्द्रनगर, नेपालगंज भैरहवा, बीरगंज तथा काकरभिट्टा सहित पांच सीमा क्रांसिग बिंदुओं के माध्यम से यात्री वाहनों के यातायात को विनियमित करना था। 2022 में, भारत सरकार ने महाकाली नदीपर भारतीय राज्य उत्तराखण्ड के चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों से नेपाल के शिंस्टा और झूलाघाट में दो पुलों का निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की, जिसे कभी विवादित माना जाता था। जून 2023 में, दोनों देशों ने संयुक्त रूप से नेपालगंज–रूपेदिहा सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) का उद्घाटन किया, भैरहवा–सुनौली सीमा पर एक चेकपोस्ट की आधारशिला रखी तथा दोधारा–चादानी में एक ICP तथा ड्राईपोर्ट के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

**निष्कर्ष/उपसंहार :** – अंत में, यह कहा जा सकता है कि भारत–नेपाल संबंध ऐतिहासिक सांस्कृतिक भौगोलिक और आर्थिक संबंधों पर आधारित है। दोनों देश सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष रूप से निकटता और समानता साझा करते हैं। पिछले कुछ दशकों से भारत–नेपाल संबंधों ने सीमा प्रबंधन की दृष्टि से क्षेत्रीय विवाद की चुनौतियों का सामना किया है क्योंकि यह आर्थिक, सुरक्षा एवं विकास हितों पर केंद्रित है। नेपाली लोगों में यह भावना है कि एक बड़े और शक्तिशाली पड़ोसी के रूप में भारत ने समझौतों का अनुचित लाभ उठाया है। जैसाकि रामास्वामी अय्यर कहते हैं, कि दोनों देशों के बीच संबंधों को दोनों तरफ से गलत तरीकों से देखा गया है। भारत में बार–बार गलतियां करने की प्रवृत्ति रही है, और नेपाल की प्रवृत्ति रही है कि भारत जो कुछ भी करता या कहता है, उसकी गलत व्याख्या करता है। आपसी विश्वास में कमी, नेपाल के घरेलू मामलों में भारत का कथित हस्तक्षेप, चीन के साथ नेपाल के बढ़ते संबंध मुख्य क्षेत्र हैं जिनसे सीमा, जल संसाधन, अवैध व्यापार के मुद्दों पर विवाद सामने आये हैं।

वैश्विक राजनीति नाटकीय और तेज परिवर्तन के बीच में है। (मैन्सबैक और टेलर, 2012) 21 वीं सदी में भारत–नेपाल संबंधों के भीतर सहयोग और चुनौतियों की गतिशीलता प्रगति और बाधाओं दोनों द्वारा चिन्हित यात्रा को समाहित करती है। इन दोनों देशों के मध्य बहुआयामी संबंध समय के साथ विकसित हुए हैं,

जिसमें साझी सीमा, सीमा प्रबंधन तंत्र, व्यापार समझौते और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोगी प्रयास साझा समृद्धि के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की पारस्परिक इच्छा को दर्शाते हैं।

कई सीमा विवादों के बावजूद दोनों देशों के मध्य संबंध कभी भी विच्छेदित नहीं हुए हैं। विभिन्न अवसरों पर दोनों देशों के राजनेताओं द्वारा लगातार शिखर स्तर की यात्राएं, वार्ताएं इन घनिष्ठ पड़ोसियों के संबंधों की विशेष पहचान हैं। नेपाल और भारत के लोगों के मध्य घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इसने न केवल दोनों देशों के बीच पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाये रखने में मदद की, बल्कि उनके बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपसी विश्वास निर्माण की पहलों में आसानी एवं नियमित रूप से कार्यावित्त करने की आवश्यकता है, जिसमें खुली सीमा के पार लंबे समय से मौजूद सांस्कृतिक और धार्मिक तालमेल का दोहन करने के नये तरीके संभावना का एक क्षेत्र हो सकता है। यह उम्मीद की जाती है कि भारत-नेपाल सौहार्द्रपूर्ण संबंधों को बनाए रखेंगे जो दोनों देशों के समग्र विकास में सहायक होगा। ऐतिहासिक शिकायतों को दूर करके, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान अपनाकर दोनों देशों के पास एक जीवंत और सामंजस्यपूर्ण संबंध का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर है जो साझा मूल्यों पर आधारित रहते हुए समय की भावना को दर्शाता है।

### संदर्भ: सूची-

- Muni, S.D. "India's Nepal Policy" in David Malone and C.Raja Mohan (ed.) The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy, OUP, UK, 2015
- Bhattarai, Dinesh and Pradip Khatiwade (1993), "Nepal India; Democracy in the Making of mutual Trust" Jaipur, Nirala Publications, 1993
- Chakrabarty, Manas (2014), India and Nepal :An Analysis of Bitateral Relationship, Foreign Policy Research Journal Vol.2, 2014
- Dev, Sanasam Sandhyarani (2011), India Nepal relations: Historical, Cultural and Political Perspective, VIJ Book (India) Pvt. Ltd. 2011
- Sood, Rakesh (2020). A reset in India-Nepal Relations, ISAS Working Paper No. 329. 8 July 2020.
- Rehnamal P.R. (2022). Kathmandu, dilemma: resetting India-Nepal ties, International Affairs, 98 (4), 1483-1485. <http://doi.org/10.1093/ia/iiacl43>
- Ramakant (1968)- Indo-Nepalese Relations, New Delhi, S Chand and Co.1968
- Sharma, Shankar P, Nepal and India's special relationship and how it is getting better, The Indian Express, July1, 2024
- Bhart-Nepal seema ka Prabandhan, Ministry of Home Affairs <http://www.mha.gov.in>
- Chakrabarty, M, India Nepal: A Prismatic view of Relationship, World focus, Sept. 2019, p.25
- Pal, Sanjit, Sahyog aur chunoutiyan ki Gatisheelata: 21 vi sadhi me Bharat Nepal sambandh, world focus, Sept. 2023, P, 51-56